



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक:-22.09.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 258/24 धारा 305(ए) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से ट्यूबवैलो से चोरी किया हुआ 08 किलोग्राम तांबे का तार व घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.9.2024 को वादी श्री ब्रह्मपाल पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी व अन्य की ट्यूबवैल से केवल, स्टार्टर, कटआउट आदि सामान चोरी कर लिया गया है । इस



सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 258/24 धारा 305(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 258/24 धारा 305(ए) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से ट्यूबवैलो से चोरी किया हुआ 08 किलोग्राम तांबे का तार व घटना में प्रयुक्त 01 कटर, 01 प्लास, 01 हथौडा, 01 पेंचकस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-समीर पुत्र युसुफ निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- फरमान पुत्र बाबू निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 कटर, 01 प्लास, 01 हथौडा, 01 पेंचकस ।
- चोरी किया हुआ 08 किलोग्राम तांबे का तार ।

गिरफ्तार अभियुक्त फरमान पुत्र बाबू का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 258/24 धारा 305(2)/317(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0- 153/24 धारा 457/380 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 80/23 धारा 380 /511 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 02/22 धारा 328/363 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 199/24 धारा 305 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0- 305/24 धारा 303 बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0- 256/24 धारा 305ए बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 252/24 धारा 305 ए बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त समीर पुत्र युसुफ का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 258/24 धारा 305(2)/317(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0- 153/24 धारा 457/380 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 199/24 धारा 305 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0- 305/24 धारा 303 बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0- 256/24 धारा 305ए बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 252/24 धारा 305 ए बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री शिवदत्त थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 266 नरेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 613 नवीन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-का0 751 शादाब खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 22.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-समसाद पुत्र रोजूद्दीन निवासी ग्राम बड़का थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-नीरज पुत्र पीतम निवासी रामनगर कॉलोनी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-प्रवीण पुत्र ओमप्रकाश निवासी राजपुर खामपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-मनीष पुत्र भोपाल निवासी ग्राम ढिकाना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 5-बिलाल उर्फ बिल्लू पुत्र मामचन्द निवासी पट्टी गोपी बाबली थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 6- विनोद पुत्र बंगाली निवासी ग्राम लोयन थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 7-जयवीर पुत्र टीका निवासी ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 8-बबलू पुत्र जगजोत निवासी ग्राम शिकोहपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 9-अजय उर्फ योगेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 10-सावेज उर्फ गहू पुत्र मेहरबान निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 यूटी श्री प्रांशू राजपूत थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 यूटी श्री नवनीत कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 7-उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 8-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 9-उ0नि0 यूटी श्री प्रियांशू देशवाल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 74 मलखान सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 11-है0का0 621 रवि कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 12-है0का0 151 संदीप दहिया थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 13-है0का0 306 राजीव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 14-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 15-है0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 16-का0 948 पंकज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 17-का0 1102 सुशान्त कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 22.09.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 304/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किए गए 05 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.09.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री धर्मवीर पुत्र रामनरेश निवासी नर सैपा जनपद शाहजहाँपुर ने सूचना दी कि दिनांक 19.09.2024 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा चार्जिंग पर लगा उसका व अन्य 04 व्यक्तियों का मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 304/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 304/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए 05 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र राममेहर निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 260/2020 धारा 379/511 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 24/18 धारा 380/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 22/18 धारा 380/457/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 412/2021 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 371/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किए गए 05 मोबाइल फोन।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-है0का0 398 अनुज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-है0का0 634 योगेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 5-का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनाँक 22.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 204/24 धारा 137(2)/64/352/351(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 204/24 धारा 137(2)/64/352/351(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विककी पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 801 भूपेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 22.09.2024

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

सऊद पुत्र दीन मोहम्मद निवासी ग्राम ओढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नन्हें सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली जनपद बागपत ।